न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 08/2025
ऑनलाईन नंबरः 2025/17
निर्णय दिनांकः 23.01.2025

प्रभुनाथ पुत्र नानुनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादी—

बनाम

1. नथीदेवी पत्नी स्व. रामलालनाथ
2. ओमनाथ पुत्र रामलालनाथ
3. महावीरनाथ पुत्र रामलालनाथ
4. मंजू पुत्री रामलालनाथ
5. भंवरनाथ पुत्र नानुनाथ

जाति सिद्ध निवासीगण बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी
2. श्री जितेन्द्र स्वामी अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अंन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 144 तादादी 5.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 145 तादादी 7.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 146 तादादी 0.0300 हैक्टेयर (गैरमुमकिन सड़क) व खसरा नम्बर 398 तादादी 3.0600 हैक्टेयर वाकेरोही बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त खसरा भूमि में वादी के नाम 1/5 हिस्सा की खातेदारी व प्रतिवादी 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/20 हिस्सा की खातेदारी तथा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/5 हिस्सा की खातेदारी व वादी की बहिने रामप्यारी देवी व संतु देवी के नाम 1/5—1/5 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादगत खसरा खेत खसरा नम्बर 144, 145, 146, 398 रोही बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में रामप्यारी देवी व संतुदेवी ने अपना सम्पूर्ण 1/5—1/5 हिस्सा वादी, प्रतिवादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 1 को संयुक्त रूप से बराबर—बराबर जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र दिनांक 26.12.2024 को परित्याग कर दिया, जिसका इन्तकाल अभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। रामप्यारी देवी व संतु देवी के परित्याग करने के बाद वादी का वादगत खसरान भूमि में 1/3 हिस्सा निहित हो गया, प्रतिवादी संख्या 1 का 11/60 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा वादगत खसरान भूमि में निहित है। वादगत खसरान भूमि की खातेदारी पहले वादी के पिता नानुनाथ के नाम थी। नानुनाथजी ने अपने जीवनकाल में ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पति/पिता रामलालनाथ व प्रतिवादी संख्या 5 को वादगत खसरान का मौखिक रूप से बंटवारा कर दिया था । नानूराम के मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में विरास्तन इन्तकाल दर्ज हो गया, लेकिन वादगत भूमि का विधिवत रूप से कोई विभाजन नहीं हुआ है। वादगत खसरान राजस्व रिकार्ड में संयुक्त चली आ रही है परन्तु मौका पर उपरोक्त खसरा भूमि का मौखिक हिस्सा पांति व बंटवारा किया हुआ है। मुताबिक हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.02.03 11:02:35 IST
Reason: SelfAttested

पांति व आपसी बंटवारा के अनुसार खसरा नम्बर 144 तादादी 5.8200 हैक्टेयर भूमि में दक्षिणी 1/3 हिस्से पर वादी काबिज है तथा वादी के उतरी तरफ प्रतिवादीगण का हिस्सा है व खेत खसरा नम्बर 145 तादादी 7.1900 हैक्टेयर मय खसरा नम्बर 146 तादादी 0.0300 हैक्टेयर (गै. मु. सड़क) भूमि में दक्षिणी 1/3 हिस्सा पर वादी काबिज है व वादी के उतरी तरफ प्रतिवादीगण का हिस्सा है तथा खेत खसरा नम्बर 398 तादादी 3.0600 हैक्टेयर भूमि में पश्चिमी 1/3 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है व वादी के पूर्वी तरफ प्रतिवादीगण का हिस्सा है, उसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है तथा सीमा कायम की हुई है। उपरोक्त हिस्सा पांति को राजस्व अक्स में अलग से अंकित कर दर्शाया गया है, जो दावा का ही भाग माना व समझा, पढा जावे। वादगत खेत का वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी मौखिक हिस्सा पांति व बंटवारा कर रखा है । मुताबिक हिस्सा पांति व मौखिक बंटवारा के अनुसार वादगत भूमि को वादी व प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है और इसी अनुरूप वादी व प्रतिवादीगण की मौके पर कब्जा कांश्त चली आ रही है तथा इसी अनुरूप सींव बनी हुई है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 02.01.2025 को वादी को एलानियां तौर पर धमकी दी कि हम जहां पर तुम (वादी) काबिज हो उस जगह पर हम तारबंदी कर तुम्हें बेदखल करके ही रहेंगे व पुरानी सींवों को उखाड़कर नई सीमां कायम करके ही रहेंगे तो वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि हमारे पूर्वजो ने पारिवारिक बंटवारा कर मुझे वादगत खसरान भूमि में उपरोक्त हिस्सा दिया गया है जबकि आपका मेरे हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नहीं है व आपका मौखिक बंटवारा के अनुसार अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है, तब प्रतिवादीगण आवेश में आ गये व वादी को शीघ्र ही बलपूर्वक बेदखल करने की धमकी दी, ऐसी स्थिति में वादी के पास प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादगत खेत के सम्बन्ध में चिरनिषेधाज्ञा का दावा लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रतिवादीगण बदमाश व झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है जो बिलकुल ही गलत रूप से वादी की उपजाऊ बनाई हुई भूमि पर कब्जा करना चाहते है व पुरानी सींव को उखाड़ना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादगत खेतों की खातेदारी संयुक्त चली आने से वादी को सुधार कार्य करवाने व अन्य कोई सरकारी लाभ प्राप्त करने में काफी परेशानियां हो रही है व वादी अपने हिस्से की भूमि ट्यूब वैल भी बनाना चाहता है। प्रतिवादीगण अब गलत रूप से विवाद पैदा कर रहे है इसलिए वादी अपने हिस्से पांति में आई हुई भूमि का विधिवत रूप से विभाजन करवाना चाहता है जिसके लिए यह विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है । वादी ने दिनांक 02.01.2025 को प्रतिवादीगण को कहा कि आप मेरे साथ तहसील कार्यालय चलकर वादगत खेतों का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन दर्ज करवाकर खातेदारी अलग अलग करवा लेवें तो प्रतिवादीगण खातेदारी अलग–अलग करवाने से साफ इन्कार हो गये। वादगत खेत वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार मौखिक तौर से वादगत खेत का विभाजन मौका पर काबिजानुसार करवा लेने का निवेदन किया लेकिन वो दिनांक 02.01.2025 को विभाजन करवाने से साफ इन्कार हो गये । यही दावे का हेतु है व दावे का आधार वादी वादगत खेत का संयुक्त खातेदार काबिज काश्तकार होने से प्राप्त है। राजस्व रिकार्ड का संधारण प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा किया जाता है जो अनुवानी दावा में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी. सी. का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.02.03 11:02:35 IST
Reason: SelfAttested

का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो इसी दरम्यान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 वादगत खेतों को खुर्द बुर्द कर देगें व अजनबी व्यक्ति को विक्रय, हस्तान्तरण कर पैचिदगिया पैदा कर देगें जिससे वादी को बड़ी भारी क्षति होगी इसलिए तुरन्त दावा पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेत रोही ग्राम बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से व दावा चिरनिषेधाज्ञा व कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन के अनुतोष का होने से दावा श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है । दावा हर तरह से अन्दर मियाद व उचित न्याय शुल्क पर न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत है । अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीगण का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

(क) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 144 तादादी 5.8200 हैक्टेयर रोही बरजांगसर के दक्षिणी 1/3 हिस्से, खसरा नम्बर 145 तादादी 7.1900 हैक्टेयर मय खसरा नम्बर 146 तादादी 0.0300 हैक्टेयर गै.मु. सड़क रोही बरजांगसर के दक्षिणी 1/3 हिस्सा व खेत खसरा नम्बर 398 तादादी 3.0600 हैक्टेयर वाकेरोही बरजांगसर में पश्चिमी 1/3 हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है व मौका पर आपसी विभाजन हो रखा है जिसका समुचित विवरण दावा की मद संख्या 3 में अंकित किया गया के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अलग से दर्ज कर विभाजन किया जावे और तदनुसार राजस्व अक्स में तरमीम करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 6 को दिया जावे और उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 6 से करवाई जावे ।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 144 तादादी 5.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 145 तादादी 7.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 146 तादादी 0.0300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 398 तादादी 3.0600 हैक्टेयर वाकेरोही बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार से वादी के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी पैदा नहीं करें, वादगत खेत का विधिवत रूप से विभाजन कराये बिना किसी को विक्रय, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें तथा प्रतिवादी संख्या 6 को आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत के सम्बन्ध में प्रस्तुत होने वाले किसी भी विक्रय, हस्तान्तरण पत्र को तस्दीक नहीं करें तथा प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य नहीं करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो ।

(ग) कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं. 1 ता 5 से दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हो जावे वह भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.02.03 11:02:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

खेत खसरा नंबर 144 तादादी 5.8200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 145 तादादी 7.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 146 तादादी 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 398 तादादी 3.0600 हैक्टेयर वाकेरोही बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा अनुसार निम्न सारणी अनुसार किया जाता है:—

क्र. स.	प्रस्तावित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	टिप्पणी
1	नथीदेवी पत्नी स्व. रामलालनथ, ओमनाथ, महावीरनाथ व मंजू पुत्रगण/ पुत्री रामलालनाथ जाति सिद्ध निवासीगण बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ	144	5.82 है. में से 17 बीघा	उतरी—पश्चिमी शेष दक्षिणी—पूर्वी वादी प्रभूनाथ पुत्र नानूनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ संलग्न नक्शानुसार
2	प्रभूनाथ पुत्र नानूनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ	145	7.1900 है. में से 11 बीघा 8 बिस्वा	उतरी— पश्चिमी शेष दक्षिणी—पूर्वी तरफ 17 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 भंवरनाथ पुत्र नानुनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर संलग्न नक्शानुसार
3	भंवरनाथ पुत्र नानुनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ	146	0.0300 है.	सम्पूर्ण हिस्सा संलग्न नक्शानुसार
4	प्रभूनाथ पुत्र नानूनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ	398	3.0600 हे. में से 4 बीघा	उतरी तरफ की 1/3 हिस्सा संलग्न नक्शानुसार
5	भंवरनाथ पुत्र नानुनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ	398	3.0600 हे. में से 4 बीघा	मध्य की 1/3 हिस्सा संलग्न नक्शानुसार
6	नथीदेवी पत्नी स्व. रामलालनथ, ओमनाथ, महावीरनाथ व मंजू पुत्रगण/ पुत्री रामलालनाथ जाति सिद्ध निवासीगण बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ	398	3.0600 हे. में से 4 बीघा	दक्षिणी तरफ की 1/3 हिस्सा संलग्न नक्शानुसार

अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। खर्चा मुकदमा वादी प्रतिवादीगण अपना—अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.02.03 11:02:35 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

प्रभुनाथ पुत्र नानुनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

बनाम

1. नथीदेवी पत्नी स्व. रामलालनाथ
2. ओमनाथ पुत्र रामलालनाथ
3. महावीरनाथ पुत्र रामलालनाथ
4. मंजू पुत्री रामलालनाथ
5. भंवरनाथ पुत्र नानुनाथ

जाति सिद्ध निवासीगण बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 08/2025
दावा बाबत खाता विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा
निर्णय दिनांकः—23.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र स्वामी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 144 तादादी 5.8200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 145 तादादी 7.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 146 तादादी 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 398 तादादी 3.0600 हैक्टेयर वाकेरोही बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा अनुसार निम्न सारणी अनुसार किया जाता है:—

क्र. स.	प्रस्तावित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	टिप्पणी
1	नथीदेवी पत्नी स्व. रामलालनथ, ओमनाथ, महावीरनाथ व मंजू पुत्रगण/ पुत्री रामलालनाथ जाति सिद्ध निवासीगण बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ	144	5.82 है. में से 17 बीघा	उतरी—पश्चिमी शेष दक्षिणी—पूर्वी वादी प्रभूनाथ पुत्र नानूनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ संलग्न नक्शानुसार
2	प्रभूनाथ पुत्र नानूनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ	145	7.1900 है. में से 11 बीघा 8 बिस्वा	उतरी— पश्चिमी शेष दक्षिणी—पूर्वी तरफ 17 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 भंवरनाथ पुत्र नानूनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर संलग्न नक्शानुसार
3	भंवरनाथ पुत्र नानुनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ	146	0.0300 है.	सम्पूर्ण हिस्सा संलग्न नक्शानुसार
4	प्रभूनाथ पुत्र नानूनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ	398	3.0600 हे. में से 4 बीघा	उतरी तरफ की 1/3 हिस्सा संलग्न नक्शानुसार
5	भंवरनाथ पुत्र नानुनाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ	398	3.0600 हे. में से 4 बीघा	मध्य की 1/3 हिस्सा संलग्न नक्शानुसार
6	नथीदेवी पत्नी स्व. रामलालनथ, ओमनाथ, महावीरनाथ व मंजू पुत्रगण/ पुत्री रामलालनाथ जाति सिद्ध निवासीगण बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ	398	3.0600 हे. में से 4 बीघा	दक्षिणी तरफ की 1/3 हिस्सा संलग्न नक्शानुसार

नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।तहसीलदार, श्री डूँगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 23 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.02.03 11:02:35 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग		योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.02.03 11:02:35 IST
Reason: SelfAttested